आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :हसनगंज तहसील
वाद संख्या :-7750/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210690407750
रामसमुझ गुरूकुल महाविद्यालय चमरौली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

13. खतौनी में उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज तथा प्रार्थी अपने रकबे पर काबिज है।
14. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार 47 लाख रूपये प्रति है0 की दर से 0.9139X47,00,000=42,95,800/रू0 तथा आवादी का 30 प्रतिशत तथा चकरोड का 15 प्रतिशत कुल मालियत मु0–62,28,910/रू0 होती है। जिसका 1 प्रतिशत मु0–62,290/रू0 होती है। जो जरिए ट्रेजरी चालान जमा किया गया है। जिस पर 1 प्रतिशत न्याय शुल्क मु0–62,290/रू0 भी अदा किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसीलदार हसनगंज की आख्या 14.10.2022 का विधिवत अवलोकन किया गया। आवेदित भूमि आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। अतएव तहसीलदार हसनगंज की आख्यानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्ते पूर्ण हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम चमरौली परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1425–1430फ0 के खाता संख्या 276 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790है0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 295 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790है0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 597 की गाटा संख्या 395/0.3160है0 में से रकबा 0.0846है0 व खाता संख्या 453 की गाटा संख्या 364/0.1520है0 व 377/0.0630है0 में 1/3 भाग रकबा 0.0713है0 कुल रकबा 0.9139है0 जो कि आवेदक रामसमुझ गुरूकुल महाविद्यालय चमरौली हसनगंज द्वारा संचालित रामसमुझ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कार्यकारी सचिव/प्रबन्धक राजेशचन्द तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ऊंचगांव परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के नाम दर्ज भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत 0.9139है0 क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किया जाता है। जॉच अधिकारी, तहसीलदार हसनगंज की जॉच आख्या दिनॉक 14.10.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग होगा। यह घोषणा केवल भू0राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नही होगा। प्रधिकरण का गठन उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1193/77–04–2005/93 भा0–04 टी0सी0 लखनऊ दिनॉक 28.07.2005 (सपठित शासनादेश सं0 1642/77–04–08–35 भा0–06 दिनॉक 07.01.2019) के द्वारा किया गया है, जनपद उन्नाव के 39 ग्राम (सूची संलग्न) अधिसूचित है तथा अधिसूचना के दिनॉक से उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 एवं लीडा महायोजना–2031 के प्राविधान अधिसूचित ग्रामों पर लागू है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कराया जाना अवैधानिक है। इस भूमि का प्रयोग भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यह आदेश उ0प्र0 असाधारण गजट 10 मार्च 2019 {राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019)} के संशोधित धारा 80 के व शासनादेश संख्या–4/2021/221/एफ–1–2021–20(5)/2016 दिनॉक 06.04.2021 के प्राविधानो के अधीन होगा। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक हसनगंज को भेजी जाय। तदनुसार राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय। दिनांक–

05/11/2022

(अंकित शुक्ला)
उपजिलाधिकारी हसनगंज,
उन्नाव। 05/11/2022

प्रतिलिपि–वादी को इस आशय से प्रेषित कि परियोजना कार्यालय, यूपीसीडा लखनऊ (एक्स–लीडा) एच0आई0जी0 64–65 सेक्टर–डी मानसरोवर कालोनी कानपुर रोड लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुसंगत नियमों के आधार पर करे।

उपजिलाधिकारी हसनगंज,
उन्नाव।

सहायक कलक्टर
प्रथम श्रेणी

नकल उपदेश दिनांक 05/11/022 सत्य छायाप्रति लिपि

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :हसनगंज तहसील
वाद संख्या :-7750/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210690407750
रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं0

अर्न्तगत धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
ग्राम–चमरौली परगना झलोतर अजगैन
तहसील–हसनगंज जिला–उन्नाव

रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय –बनाम– सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना–पत्र रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली हसनगंज द्वारा संचालित रामसमुझ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कार्यकारी सचिव/प्रबन्धक राजेशचन्द्र तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ऊंचगांव परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चमरौली परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1425–1430फ0 के खाता संख्या 276 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790हे0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 295 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790हे0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 597 की गाटा संख्या 395/0.3160हे0 में से रकबा 0.0846हे0 व खाता संख्या 453 की गाटा संख्या 364/0.1520हे0 व 377/0.0630हे0 में 1/3 भाग रकबा 0.0713हे0 कुल रकबा 0.9139हे0 जो कि आवेदक रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली हसनगंज द्वारा संचालित रामसमुझ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कार्यकारी सचिव/प्रबन्धक राजेशचन्द्र तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ऊंचगांव परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक नहीं है एवं आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार हसनगंज से जाँच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार हसनगंज ने अपनी जाँच आख्या दिनॉक 14.10.2022 द्वारा उल्लिखित किया जो बिन्दुवार निम्नवत है:–

1. ग्राम चमरौली परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1425–1430फ0 के खाता संख्या 276 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790हे0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 295 की गाटा संख्या 380मि0/0.3790हे0 सम्पूर्ण व खाता संख्या 597 की गाटा संख्या 395/0.3160हे0 में से रकबा 0.0846हे0 व खाता संख्या 453 की गाटा संख्या 364/0.1520हे0 व 377/0.0630हे0 में 1/3 भाग रकबा 0.0713हे0 कुल रकबा 0.9139हे0 जो कि आवेदक रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली हसनगंज द्वारा संचालित रामसमुझ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कार्यकारी सचिव/प्रबन्धक राजेशचन्द्र तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ऊंचगांव परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।
2. आवेदक की उक्त भूमि के आवेदित रकबे पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, पशुपालन तथा कृषि कार्य नही किया जा रहा है।
3. आवेदक की भूमि सीलिंग, भूदान या आवंटन से प्राप्त नही है।
4. भूमि संलग्न खतौनी के अनुसार जी0एस0लैण्ड, गवर्नमेन्ट लैण्ड व लोकल बाडीज लैण्ड नही है।
5. आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा व दखल है।
6. भूमि के सम्बन्ध मे स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नही है।
7. ग्राम चमरौली परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत घोषित है, परन्तु किसी भूखण्ड का अधिग्रहण नही किया गया है।
8. प्रस्तावित भूमि संलग्न खतौनी अनुसार किसी संस्था या बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज अभिलेख नही है।
9. प्रस्तावित भूमि प्रयोजन से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना नही है व सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा की सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नही है।
10. उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन में उपयोग महायोजना में प्रस्तावित उपयोग के विरुद्ध नही है।
11. प्रस्तावित भूमि की उद्धरण खतौनी, आकार पत्र 41 व 45 की प्रमाणित प्रति तथा भूमि की फोटोग्राफ साथ संलग्न है।
12. प्रस्तावित भूमि का उपयोग विद्यालय में प्रयोग किया जा रहा है।

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी हसनगंज-उन्नाव